01/8/25

पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उपा० प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण रामकली, बनीसिंह, हंसराज, कल्याणसिंह का नाम गलत अंकन हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। हमने पत्रावली पत्र उपलब्ध रिकॉर्ड व तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। तो पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः रामकली पत्नि ~~धर्म~~ धरम, कायसिंह पुत्र धर्मा, हंसा पुत्र धरम व कलुआ पुत्र धरम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थीगण का शुद्ध व सही नाम रामकली पत्नि धर्मसिंह, बनीसिंह पुत्र धर्मसिंह, हंसराज पुत्र धर्मसिंह, व कल्याणसिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी नगला धरसोनी है। एवं उक्तानुसार नाम संशोधन की अभिशंषा भी की गई।

अतः प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का नाम जमाबंदी के खाता सं. 34, 50, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 129 (वाके ग्राम नगला धरसोनी) एवं खाता सं. 152, 153, 154, 155, 156 (वाके ग्राम गोवरा) में क्रमशः रामकली पत्नि धर्मसिंह, बनीसिंह पुत्र धर्मसिंह, हंसराज पुत्र धर्मसिंह, कल्याणसिंह पुत्र धर्मसिंह किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की [illegible] प्रदान की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार [illegible] नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 15:08:59 IST
Reason: SelfAttested